

**केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत परित्यक्त राजस्व
वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07**

प्रस्तावना

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को निधिपोषित करने के लिए आवश्यक राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि बहुत हद तक कर आधारों और कर दरों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थागनों और क्रेडिटों- जो कर के स्तर और वितरण को प्रभावित करते हैं- का भी एक कार्य है। इन उपायों को कभी-कभी "कर तरजीह" भी कहा जाता है। उनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है (अर्थात् उनकी एक लागत होती है) और वे सरकार के नीतिगत विकल्पों को परिलक्षित करते हैं।

कर तरजीहों को अधिमानी करदाताओं को सब्सिडी भुगतानों के रूप में देखा जा सकता है। इन अन्तर्विष्ट भुगतानों का कर व्ययों के रूप में उल्लेख किया जाता है और प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मदों के रूप दर्शाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मूल मुद्दा कर नीति का नहीं वरन् सक्षमता और पारदर्शिता का है- कर आयोजना में यह अपेक्षित है कि नीतिगत उद्देश्यों को सुस्पष्ट रूप से सामने लाया जाए; और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे परिव्ययों को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कर व्यय कर संवधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

कर व्यय अथवा राजस्व परित्यक्त विवरण को पहली-बार संसद के समक्ष 2006-07 के बजट के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा इससे सम्भव हुई। इससे कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे को भी विश्वसनीयता प्राप्त हुई।

पिछले वर्ष की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केन्द्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान केवल कर अधिमानताओं की उन बड़ी मदों के सम्बन्ध में किया गया है जिनके बारे में कोई संदिग्धता नहीं है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए है और यह अंतिम वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी 2005-06 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों अथवा 2006-07 के वास्तविक आंकड़ों (अप्रैल-सितम्बर) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व हानि का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्यय के अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किए गए:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, प्रोत्साहनों, भारांशित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे गए होते हैं। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये गए हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। इस सीमा तक, आर्थिक अभिकरणों का व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है और राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत की लागत का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर

रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। स्पष्ट शब्दों में, कर उपबंधों का अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक उपबंध के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकल्पित परित्यक्त राजस्व से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक कर तरजीह का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस दस्तावेज के संबंधित भाग में किया गया है।

I. प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों, द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करने, निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आधारभूत ढांचा सुविधाओं की स्थापना, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा सहकारी क्षेत्रक और पूंजी निवेश के लिए त्वरित मूल्यहास के लिए कर तरजीहों का प्रावधान है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। बड़ी मदों पर कर व्ययों का अनुमान लगाने का यहां प्रयत्न किया गया है।

क. कम्पनी क्षेत्रक

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। कम्पनियों पर कर व्यय भी भारी मात्रा में है। कर-व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनों के लिए 3,01,736 कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़े आयकर विभाग के आंकड़ा आधार से प्राप्त किए गए। ऐसे विशाल और सूचनाप्रद आंकड़ों की उपलब्धता सरकार के इस निर्णय के कारण सम्भव हो पायी कि कम्पनियों को अपनी आय कर विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 31 जनवरी, 2007 तक 301736 कम्पनियों ने अपनी विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की थीं और वित्तीय वर्ष 2007 में प्रत्याशित कुल विवरणियों का यह लगभग 90 प्रतिशत है। यह नमूना आकार पिछले वर्ष प्रयुक्त 1689 कम्पनियों को नमूना संख्या से कई गुणा अधिक है।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आए:-

- कम्पनियों द्वारा करों से पहले मुनाफे के रूप में 4,08,444 करोड़ रुपए प्राप्त किए जाने की सूचना है (घाटे नमूने के लगभग एक तिहाई होने की सूचना है) परन्तु उन्होंने वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान (वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रस्तुत करने हेतु) केवल 248758 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय)¹ की घोषणा की।
- इन नमूना कम्पनियों ने इसी वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी कर के रूप में 78,669 करोड़ रुपए का भुगतान किया।
- इन कम्पनियों ने इसी वित्तीय वर्ष के दौरान अनुषंगी लाभ कर के रूप में 5139 करोड़ रुपए और लाभांश वितरण कर के रूप में 8033 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया।

सारणी 1 में मुनाफा रेंज वाली नमूना कम्पनियों की रूपरेखा दी गई है। 500 करोड़ रुपए से अधिक के मुनाफे वाली कुल 113 कम्पनियों ने करों से पहले कुल मुनाफे में 49.87 प्रतिशत का योगदान किया और कुल करों में उनका हिस्सा 49.46 प्रतिशत था। परन्तु उनकी प्रभावी कर दर² केवल 19.10 प्रतिशत थी जो 1 करोड़ रुपए तक के कर पूर्व मुनाफा वाली

1. आय कर विवरणियों में "कुल आय" शब्द कर योग्य आय को प्रदर्शित करता है जिसे आम भाषा में कहा जाता है।
2. प्रभावी कर दर करों ने पहले कुल मुनाफे में भुगतान किए गए कुल करों का अनुपात है जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

कम्पनियों से कम है। सम्पूर्ण नमूने की प्रभावी कर दर 19.26 प्रतिशत थी जो 33.66 प्रतिशत की सांविधिक कर दर से काफी कम थी।

कुल नमूना (60.90 प्रतिशत) की तुलना में करों से पहले 1 करोड़ रुपए तक के मुनाफों वाली कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफे में कर योग्य आय का अनुपात काफी अधिक है (75.36 प्रतिशत)। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो सम्भवतः बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

**सारणी 1 करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली कम्पनियों की रूप रेखा
(वित्तीय वर्ष 2005-06)**

क्रम सं.	कर-पूर्व मुनाफा	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व मुनाफों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	देय कुल कम्पनी आय कर में हिस्सा (% में)	कर-पूर्व मुनाफों में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1.	शून्य से कम	101456	0.00	0.86	0.28
2.	शून्य	20020	0.00	7.67	3.79
3.	0-1 करोड़ रुपए	164352	3.87	4.78	4.87	75.36	24.29
4.	1-10 करोड़ रुपए	12642	9.32	8.90	8.94	58.17	18.49
5.	10-50 करोड़ रुपए	2382	12.45	10.70	11.10	52.33	17.17
6.	50-100 करोड़ रुपए	425	7.34	5.74	6.22	47.67	16.33
7.	100-500 करोड़ रुपए	346	17.16	14.05	15.33	49.87	17.21
8.	500 करोड़ रुपए से अधिक	113	49.87	47.30	49.46	57.76	19.10
9.	सभी नमूना कम्पनियां	301736	100.00	100.00	100.00	60.90	19.26

सारणी 1 के आंकड़ें स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि वितरण के मध्य वाली कम्पनियां अर्थात् कर पूर्व 10 और 500 करोड़ रुपए के मुनाफों वाली कम्पनियां सबसे कम कर का भुगतान कर रही हैं। इन कम्पनियों की प्रभावी कर दरें 2 प्रतिशत से अधिक हैं जो सम्पूर्ण नमूने की तुलना में कम है।

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। 20 प्रतिशत से कम की औसत प्रभावी दर वाली कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 51.47 प्रतिशत बैठता है लेकिन कुल कर योग्य आय का केवल 20.36 प्रतिशत और कुल प्रदत्त कर का 19.43 प्रतिशत बैठता है। दूसरे शब्दों में बहुत बड़ी संख्या में कम्पनियों (1,74,412) ने अपने लाभ की तुलना में कर के गैर-समानुपातिक रूप में कम राशि का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, 85,280 कम्पनियों ने जिनका कुल लाभ में 15.17 प्रतिशत हिस्सा बैठता है, कुल कर के 34.29 प्रतिशत का योगदान किया था। इस प्रकार कम्पनियों के बीच कर देयता असमान रूप से बंटी हुई है। यह असमानता कानून के अन्तर्गत विभिन्न कर अधिमानों के कारण है।

**सारणी 2 : नमूना कम्पनियों के प्रभावी कर-दर की रूपरेखा
(वित्तीय वर्ष 2005-06)**

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल आय में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल देय कर में हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	शून्य से कम और शून्य	118357	5.39	1.69	0.28
2.	0-20	56055	46.08	18.77	19.15
7.	20-25	7850	14.63	16.17	16.92
8.	25-30	9882	8.73	11.90	12.56
9.	30-33.66	24312	9.99	15.82	16.81
10.	33.66 से अधिक	65219	15.17	28.06	30.50
11.	अनन्त	20061	0.00	7.67	3.79
12.	सभी नमूना कम्पनियां	301736	100.00	100.00	100.00

नमूना कम्पनियों द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत पर परित्यक्त कर का अनुमान प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.66 प्रतिशत की निगम कर दर पर लगाया गया है। त्वरित मूल्यह्रास के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन प्रथमतः कम्पनियों द्वारा लाभ-हानि खातों और आय कर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमेय मूल्यह्रास के बीच डेबिट किए गए मूल्यह्रास के अन्तर का निर्धारण करके किया जाता है। उसके बाद, इस अन्तर पर 33.66 प्रतिशत की कम्पनी कर दर लगाकर परित्यक्त राजस्व के आंकड़े निकाले जाते हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर व्यय के लिए भारत कटौती के कारण परित्यक्त राजस्व का आकलन करके आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक अलग पद्धति अपनायी गयी है क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से दायर आय-कर विवरणियों में यह कटौती पकड़ में नहीं आयी थी। वित्तीय वर्ष 2004-05 में इस लेखा पर परित्यक्त राजस्व 2318 करोड़ रुपए था। यह वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल कम्पनी कर संग्रहण का 2.8 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 में इस लेखा पर परित्यक्त राजस्व का परिकलन 2005-06 में और 2006-07 के संशोधित अनुमान में वास्तविक कम्पनी कर संग्रहण के 2.8 प्रतिशत पर किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2006-07 का अनुमान वर्ष 2005-06 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर परित्यक्त राजस्व के अनुपात का आकलन करके उस वर्ष में संग्रहित वास्तविक कम्पनी कर की तुलना से लगाया गया है और उसके बाद उसी अनुपात को उस वर्ष में कम्पनी कर संग्रहणों के संशोधित अनुमानों के प्रतिशत के रूप में 2006-07 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर लागू किया गया है। सारणी 3 में वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान परित्यक्त राजस्व के अनुसार कम्पनी कर दाताओं पर प्रमुख कर व्यय दिखाया गया है।

**सारणी : 3 वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कम्पनी
कर दाताओं पर प्रमुख कर व्यय**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती का रूप	परित्यक्त राजस्व	परित्यक्त राजस्व
		(करोड़ रुपए में) [2005-06]	(करोड़ रुपए में) [2006-07]
1.	एसटीपीआई यूनिटों और एसईजैड, ईपीजैड तथा एफआईजैड यूनिटों का निर्यात लाभ (धारा 10क और 10कक)	6870	9938
2.	निर्यात अभिमुख यूनिटों का निर्यात लाभ (धारा 10ख)	1787	2585
3.	कलात्मक मूल्य की मदों का विनिर्माण करने वाली यूनिटों का निर्यात लाभ (धारा 10खक)	1	1
4.	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	641	927
5.	वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर भारित कटौती (धारा 35 (2कख))	2839	4107
6.	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान (धारा 80छ)	3519	5090
7.	ग्रामीण विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानार्थ दान (धारा 80घघक)	244	353
8.	राजनीतिक दलों को अंशदान (धारा 80घघख)	1	1
9.	कतिपय औद्योगिक उपक्रमों या जहाजों या होटल व्यवसाय का लाभ (धारा 80-झ)	1	1
10.	आधारभूत सुविधाओं, एसईजैड और औद्योगिक पार्कों, विद्युत उत्पादन और दूर-संचार सेवाएं मुहैया कराने के विकास में लगे उपक्रमों का लाभ (धारा 80झक)	10893	15757
11.	एसईजैड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजैड के विकास में लगे उपक्रमों का लाभ (धारा 80झकख)	2	3
12.	औद्योगिक उपक्रमों का लाभ; आवासन परियोजनाओं, खनिज तेल का उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास, खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय और जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से परिकलित (धारा 80झख)	6233	9016
13.	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों का लाभ (धारा 80झग)	1531	2215
14.	बायो डिग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण से लाभ (धारा 80झजक)	17	25
15.	नए कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (धारा 80झजकक)	9	13
16.	विदेशी बैंकिंग यूनिटों (ओबीयू) और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) की कतिपय आयों में कटौतियां (धारा 80ठक)	30	43
	जोड़	34618	50075

सारणी 3 का अवलोकनीय पहलू परित्यक्त राजस्व में तेजी से गिरावट आना है जो 2004-05 में 27077 करोड़ रुपए से त्वरित गति से गिरकर 2005-06 में केवल 641 करोड़ रुपए रह गया है। तेजी से आई इस गिरावट का कारण संघीय बजट 2005-06 में नीतिगत पहलों को आरम्भ किया जाना था जिसमें संयंत्र और मशीनरी के सामान्य मूल्यहास की दर को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत किया गया। प्रभावी तौर पर कर प्रयोजनार्थ मूल्यहास को और कम किया गया है जो लेखांकन मूल्यहास में प्रतिबिम्बित है।

इसके अतिरिक्त, **सारणी 3** के दो अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं- उपक्रमों द्वारा अवसंरचना का विकास (80 धारा 80झक) और आवासन परियोजनाओं से, खनिज तेल का उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास, खाद्यानों का संचालन, भंडारण और परिवहन का एकीकृत कारोबार और जम्मू और कश्मीर आदि में स्थित औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ की कटौती के कारण निकाला गया परित्यक्त राजस्व है (धारा 80झख)। धारा 80झक के मामले में पिछले वर्ष के विवरण में 2004-05 के लिए परित्यक्त राजस्व का परिकलन 5832 करोड़ रुपए किया गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के आंकड़े इससे काफी अधिक हैं। इसी प्रकार, धारा 80झख के मामले में परित्यक्त राजस्व का आकलन 2004-05 में 11,523 करोड़ रुपए था जबकि वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के आंकड़े काफी निम्न स्तरीय हैं। इन दोनों ही मामलों में प्राथमिक तौर पर अन्तर 2004-05 में कम्पनियों के नमूना का आकार छोटा (1689 कम्पनियां) था जबकि 2005-06 के नमूना में यह (3,01,736 कम्पनियां) था। तथापि, यदि दोनों ही मामलों में परित्यक्त राजस्व को लिया जाए (किसी भी अवस्था में दोनों ही कटौतियां एक ही प्रकृति की होंगी) तो आंकड़े एक समान होंगे और एक प्रकृति का अनुसरण करेंगे।

इसी प्रकार, क्षेत्र आधारित कर रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व के संबंध में देखे गये अन्तर (धारा 80झग) में भी उपर्युक्त कारण समाहित हैं।

ख. सहकारी क्षेत्रक

आयकर अधिनियम की धारा 80त बैंकिंग के कारोबार करने के कार्यकलापों या अपने सदस्यों को ऋण सुवधाएं प्रदान करने से संबंधित सहकारी समिति के लाभों और अनुलाभों की सम्पूर्ण राशि कटौती अनुमत करती है। इस कटौती का लाभ प्राप्त करने वाले सहकारी बैंकों की निम्नलिखित तीन मुख्य श्रेणियां हैं:-

- शहरी सहकारी बैंक
- राज्य सहकारी बैंक
- केन्द्रीय सहकारी बैंक

परन्तु 1 अप्रैल, 2007 (अर्थात् कराधेय वर्ष 2007-08 और वित्तीय वर्ष 2006-07) से यह कटौती सहकारी बैंकों (प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों (पीएसी) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडी) को उपलब्ध नहीं है।

आयकर (अनुसंधान) निदेशालय ने शहरी सहकारी बैंकों के मामले में धारा 80त के अधीन कटौती के राजस्व परिणामों पर एक अध्ययन किया और मार्च, 2002 में अपने निष्कर्ष दिए। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को इस कटौती की अनुमति देने से वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 872 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2000-01 में 982 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई। धारा 80त के अंतर्गत मांगी गई समग्र कटौती पर इसके कराधेय वर्षों

में लागू कर दरों को अपनाकर इस राजस्व हानि की गणना की गई थी। धारा 80त के अंतर्गत मांगी गई समग्र कटौती की गणना धारा 80त के अधीन मांगी गई समग्र कटौती और समग्र निवल मुनाफों के औसत को लेकर की गई थी क्योंकि ये दोनों आंकड़ें काफी भिन्न थे। सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए परिगणित राजस्व हानि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आय की लगभग 20 प्रतिशत थी।

यह मानते हुए कि अनुसूचित और अनुसूचित यूसीबी की आय का अनुपात अपरिवर्तित रहा, सभी यूसीबी के लिए इस कटौती के कारण राजस्व हानि वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अनुसूचित यूसीबी की आय का 20% होती है। इस पद्धति को अब वित्तीय वर्ष 2004-05 के सम्बन्ध में परित्यक्त राजस्व के परिकलन हेतु उपयोग में लायी गयी पद्धति के अनुसार ही अपनाया गया है।

राज्य सहकारी बैंकों के मामले में राजस्व हानि अनुसूचित यूसीबी की आय के प्रतिशत के रूप में राजस्व हानि आकलित करके और ऐसे राज्य सहकारी बैंकों की आय के उसी प्रतिशत पर लागू करके निकाली गई है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए भी यही तरीका अपनाया गया है। यह प्रतिशत 4.5 तक बैठता है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अनुसूचित यूसीबी की आय भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से ली गई है। राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए वर्ष 2005-06 की आय उपलब्ध नहीं थी। तथापि, इसी रिपोर्ट में 2002-03, 2003-04 और 2004-05 की आय उपलब्ध थी और 2005-06 की आय पिछले दो वर्षों की प्रवृत्ति का अनुकरण करके आकलित की गई है।

सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में धारा 80त के अन्तर्गत कटौती के कारण वित्तीय वर्ष 2005-06 में सकल राजस्व हानि 1632 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसे सारणी 4 में दिखाया गया है। इस सारणी से यह भी प्रकट होता है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में इस लेखे में कोई राजस्व हानि नहीं होगी क्योंकि सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में धारा 80त के तहत की जाने वाली कटौतियां को वित्तीय अधिनियम, 2006 द्वारा वापस ले लिया गया है। अन्य सहकारी गतिविधियों के सम्बन्ध में परित्यक्त राजस्व को आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण दोनों वर्षों के लिए अभिकलित नहीं किया जा सका लेकिन राजस्व हानि मामूली होगी।

**सारणी - 4 : वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान
सहकारी करदाताओं पर कर व्यय**

क्र.सं. प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए)	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए)
	[2005-06]	[2006-07]
1. बैंकिंग कार्यकलापों से सहकारी बैंकों का लाभ	1632	शून्य
2. बैंकिंग कार्यकलापों से प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों का लाभ	उ.न.	उ.न.
3. दूध, प्रसंस्करण तथा कृषि उत्पादों का विपणन, मात्स्यिकी आदि से अन्य प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों का लाभ	उ.न.	उ.न.
जोड़	1632	शून्य

नोट: उ.न. 'उपलब्ध नहीं' को दर्शाता है।

ग. व्यक्ति करदाता

वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यक्ति करदाताओं पर मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति) तथा महिलाओं (वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर) के लिए उच्चतर मूल छूट सीमा और धारा 80ग के अन्तर्गत निवेशों के कई प्रकार (बीमा प्रीमियम इक्विटी से जुड़ी बचत योजना आदि) तथा कतिपय भुगतानों (भवन निर्माण ऋणों, बच्चों के शिक्षण शुल्क का भुगतान आदि) पर उपलब्ध कटौती की वजह से था।

उच्चतर मूल छूट सीमाओं, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, के कारण परित्यक्त राजस्व को प्रति वरिष्ठ नागरिक तथा महिला के उनकी सम्बन्धित संख्या सहित परित्यक्त राजस्व से गुणा करके परिकलित किया गया है। उनकी सम्बन्धित संख्याओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यष्टियों द्वारा दायर की गयी आय विवरणियों की कुल संख्या से लगाया गया है। आयकर विभाग के क्षेत्र कार्यालय से संग्रहित आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यष्टियों द्वारा दायर की गयी आयकर विवरणियों की कुल संख्या 2,42,14,698 थी। यह मानते हुए कि कुल विवरणियों में से 10 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दायर की गयी थीं, उच्चतर छूट सीमा प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 24,21,470 है। शेष 2,17,93,228 विवरणियों से यह अनुमान लगाया गया कि 20 प्रतिशत विवरणी महिलाओं द्वारा दायर की गयी, इसलिए 1,35,000 रु. की छूट सीमा प्राप्त कर रही कुल महिलाओं की संख्या 43,58,646 है।

प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के सम्बन्ध में परित्यक्त राजस्व 12,240 रुपए है क्योंकि 1,85,000 रु. आय पर कर देयता (जिसमें शिक्षा उपकर शामिल है) है (जो कि वरिष्ठ नागरिकों हेतु मूल छूट सीमा है) 12,240 रु. है। इसी प्रकार, प्रत्येक महिलाओं (जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है) के सम्बन्ध में कर देयता 3570 रु. है चूंकि यह 1,35,000 रु. (महिलाओं के लिए मूल छूट सीमा जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है) की आय पर कर देयता है। वर्ष 2006-07 के अनुमान यह मानकर लगाए गए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 में दायर की गयी विवरणियों की संख्या की तुलना में वर्ष 2005-06 में इनमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अनुमान औचित्यपूर्ण है चूंकि सभी व्यष्टियों द्वारा दायर की गयी विवरणियों की कुल संख्या पिछले दो वर्षों की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत रही है।

आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अन्तर्गत कटौती के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान व्यक्ति निर्धारितियों की विभिन्न आय श्रेणियों के सम्बन्ध में बचत लिखतों में निवेश के विभिन्न स्तरों तथा बच्चों के शिक्षण शुल्कों का भुगतान को निर्धारित कर लगाया गया है। तत्पश्चात प्रत्येक श्रेणी की औसत कर योग्य आय (धारा 80ग के अन्तर्गत प्राप्त कटौती के बाद की आय) तथा औसत सकल कुल आय पर कर (धारा 80ग के अन्तर्गत प्राप्त कटौती के पहले की आय) देयता का अनुमान लगाया गया है। कर योग्य आय पर कुल कर तथा सकल कुल आय पर कुल कर के बीच अन्तर धारा 80ग के अन्तर्गत कटौती के कारण परित्यक्त राजस्व के आंकड़ें प्रदर्शित करता है। यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2005-06 में 9030 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह वर्ष 2005-06 में व्यक्ति कर दाताओं से संग्रहित कुल करों का लगभग 17 प्रतिशत है। वर्ष 2006-07 के सम्बन्ध में परित्यक्त राजस्व के आंकड़े तैयार करने के लिए इसी प्रतिशत को वर्ष 2006-07 में व्यष्टियों से सम्भावित कर संग्रहण (62,000 करोड़ रुपए) में लागू किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं के सम्बन्ध में उच्चतर छूट सीमाओं तथा धारा 80ग के अन्तर्गत कटौती के कारण कुल परित्यक्त राजस्व को **सारणी 5** में दिखाया गया है।

सारणी - 5 : वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान व्यष्टि करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय

क्र.सं. प्रोत्साहन की प्रकृति	परित्यक्त राजस्व	परित्यक्त राजस्व
	(करोड़ रुपए) [2005-06]	(करोड़ रुपए) [2006-07]
1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	2964	3260
2. महिलाओं के लिए उच्च छूट सीमा	1556	1712
3. कतिपय निवेशों तथा भुगतानों के कारण कटौती	9030	10540
जोड़	13550	15512

II. अप्रत्यक्ष कर

क. उत्पाद शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। अनेक मामलों में, विभिन्न वित्त अधिनियमों के अंतर्गत वे दरें निर्दिष्ट की गई हैं जिन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना चाहिए। विभिन्न अधिनियमों में निर्दिष्ट ये दरें उत्पाद शुल्क की "टैरिफ दरें" के नाम से जानी जाती हैं। सरकार ने अनुसूची में निर्धारित दरों को कम दरों पर निर्धारित करने के लिए जनहित में अधिसूचना जारी करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(1) के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित ये दरें "प्रभावी दरें" के रूप में जानी जाती हैं।

तदनुसार परित्यक्त राजस्व अधिसूचना नहीं जारी होने के स्थिति में देय शुल्क तथा संगत अधिसूचना की शर्तों के अनुसार भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के बीच का अंतर है। अतएव:

$$\text{परित्यक्त राजस्व} = \text{मूल्य} \times (\text{शुल्क की टैरिफ दर} - \text{शुल्क की प्रभावी दर})$$

शुल्कों की विनिर्दिष्ट दरों के अधीन वस्तुओं के मामलों में, परित्यक्त राजस्व के आंकड़ें मात्रा द्वारा मूल्य प्रतिस्थापित कर प्राप्त किए जाते हैं।

इस प्रकार छोड़ा गया शुल्क शून्य होगा यदि टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो।

वर्ष 2006-07 के बजट में उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 2004-05 के सम्बन्ध में परित्यक्त राजस्व का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया था। निकासी मूल्य से सम्बन्ध सूचना शुल्क भुगतान करने वाली इकाइयों द्वारा अपनी निकासियों और भुगतान किए गए शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर दायर की गयी विवरणियों से प्राप्त की गयी। तथापि, यह पाया गया कि आंकड़े व्यापक नहीं थे।

उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सृजित आंकड़ों को सेरमान प्रणाली द्वारा लिया जाता है जोकि समाहर्ताओं से प्राप्त विवरणियां संकलित करती हैं। वर्ष 2004-05 के राजस्व परित्याग अनुमानों को तय करते समय, यह नोट किया गया कि परित्यक्त राजस्व के आंकड़े स्पष्टतया अपेक्षाकृत न्यून हैं। यह महसूस किया गया कि सुसंगठित और व्यापक कम्प्यूटरीकरण के अभाव में, सटीकता के साथ परित्यक्त राजस्व का अनुमान करना कठिन होगा। इसके बावजूद 2006-07 के बजट में एक शुरुआत की गई और इस बात को मान्यता दी गई कि प्रणाली को परिष्कृत करने और इस प्रकार अनुमानों की विश्वसनीयता में सुधार लाने की आवश्यकता है। सेरमान डाटा आधार में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 23 भिन्न मंडलों में फील्ड संगठनों द्वारा की गई प्रविष्टियों के आधार पर आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। यह अभी भी आरम्भिक अवस्था में है। आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, विभिन्न मंडलों से एकत्र आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता की विभाग द्वारा व्यापक रूप से समीक्षा की गई और इसमें विभिन्न कमियां देखने में आईं:-

- विशिष्ट निर्धारित दरों वाली मदों के लिए, मात्रा सही ढंग से परिलक्षित नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप परित्यक्त शुल्क के आंकड़े कमतर थे।
- उन मामलों में जहां प्रभावी शुल्क विशिष्ट था, परन्तु शुल्क दरें यथामूल्य थीं, परित्यक्त राजस्व को तय करने में समस्याएं थीं। इनमें से कुछ मामलों में, मूल्य घोषित नहीं किए गए थे (यह मूल्य कर निर्धारण प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक नहीं है।
- यथामूल्य और विशिष्ट दरों में अदला-बदली के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण आंकड़े एकत्र किए गए।
- कुछ मामलों में, प्रभावी दर को टैरिफ दर के रूप में लिया गया था, यद्यपि टैरिफ दरें वस्तुतः बहुत अधिक थीं।
- दरों की गलत फीडिंग की वजह से गलत आंकड़ों का संग्रहण
- प्रभावी दरों को टैरिफ दरों से अधिक दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप परित्यक्त राजस्व के ऋणात्मक आंकड़े प्राप्त हुए।

परित्यक्त शुल्क के आंकड़ों की गुणवत्ता पर्याप्त न होने का एक मूल कारण यह था कि सेरमान सॉफ्टवेयर ने सिस्टम में फीड किए गए आंकड़ों को वेलिडेट नहीं किया। 1 अप्रैल 2006 से, सेरमान प्रणाली को इस तरह बनाया गया है कि सॉफ्टवेयर में आंकड़ों की प्रविष्टि के समय ही आंकड़ों को वेलिडेट कर लिया जाए। इससे आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार आया है। 2005-06 के लिए परित्यक्त राजस्व के अनुमान 2004-05 के अनुमानों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हैं और 2006-07 के आंकड़ों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार हुआ है।

2005-06 में सेरमान आंकड़ों में 97293 करोड़ रुपए का सकल राजस्व प्राप्त हुआ जो 118,542 करोड़ रुपए के वास्तविक सकल राजस्व संग्रहण के 82 प्रतिशत को दर्शाता है। यह मानते हुए कि शेष 18 प्रतिशत पर भी कवरेज का समान पैटर्न लागू होता है, यह बढ़कर 100 प्रतिशत तक हो गया है।

ऊपर वर्णित सामाओं के अधीन छूट संबंधी अधिसूचनाओं के कारण 2005-06 के दौरान परित्यक्त उत्पाद शुल्क 62,610 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2006-07 के अनुमान उपरोक्त पद्धतियों पर किए गए हैं, परन्तु ये अप्रैल-सितम्बर 2006-07 की अवधि के आंकड़ों पर आधारित है। 2006-07 के लिए अनुमानित परित्यक्त राजस्व 92,690 करोड़ रुपए है। यदि टीवी सेटों और पेट्रोलियम उत्पादों पर 2006-07 के परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों को 2004-05 के परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों को परिकलित करने में समानुपातिक रूप से वितरित किया जाए तो यह 52,790 करोड़ रुपए होता।

सेरमान के आंकड़ों के सटीक न होने से उपर इंगित विभिन्न कारकों की वजह से 2004-05 और 2005-06 के परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों को कम आंका गया है। मात्र एक कारक के प्रभाव को दर्शाने के लिए 2006-07 टेलिविजन सेटों के लिए परित्यक्त राजस्व के आंकड़े अप्रैल-सितम्बर, 2006 के लिए 12,704 करोड़ रुपए (वार्षिक आधार पर 31,252 करोड़ रुपए) की राशि दर्शाते हैं, परन्तु 2004-05 में टीवी सेटों पर परित्यक्त राजस्व नहीं दर्शाया गया है क्योंकि 16 प्रतिशत की प्रभावी दर को टैरिफ दर के रूप में लिया गया था, जबकि 2005-06 और 2006-07 में टैरिफ दर 34,000 रुपए प्रति सेट अथवा 16 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के रूप में ली गई थी। पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में, परित्यक्त राजस्व की काफी अधिक कम सूचना प्राप्त हुई थी। इन खामियों को क्रमिक रूप से नियंत्रित किया गया है। इस प्रकार जबकि 2005-06 के आंकड़ें काफी कुछ अधिक सटीक हैं, 2006-07 के आंकड़ों में कमोबेश व्यापक रूप से टैरिफ दर और प्रभावी दर के बीच अंतर पर आधारित परित्यक्त राजस्व शामिल है। परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों को परिकलित करने की प्रक्रिया की निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है और विभाग को आशा है कि परित्यक्त राजस्व की संख्याओं के परिकलन में और अधिक सुधार आएगा।

परित्यक्त राजस्व के उपर्युक्त आंकड़ों में क्षेत्र आधारित छूटों के अधीन परित्यक्त राजस्व शामिल नहीं है। इसके लिए आंकड़े पृथक रूप से संग्रहित किए गए हैं और नीचे सारणी 6 में दिए गए हैं:-

सारणी 6 : उत्पाद शुल्क प्रणाली के अंतर्गत प्रमुख कर व्यय

क्रं. सं.	छूट का ब्यौरा	परित्यक्त राजस्व (करोड़ रुपए में)	
		2005-06 (अनन्तिम)	2006-07 (अनुमान)*
1.	पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर तथा गुजरात के कच्छ जिला में प्रयोज्य क्षेत्र आधारित छूट	4150	7000
2.	अन्य छूट	62610	92690
	जोड़	66760	99690

[* 2006-07 के लिए वास्तविक आंकड़ों पर आधारित (अप्रैल-सितम्बर 2006)]

परित्यक्त राजस्व के अनुमानों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(2) के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण परित्यक्त राजस्व शामिल नहीं है जो एक आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों से सम्बन्धित होते हैं।

ख. सीमा शुल्क

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाए जाते हैं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाए जाने का भी प्रावधान है (सामान्यतया काउंटरवेलिंग शुल्क अथवा सी. शुल्क के रूप में उल्लिखित), जो कि ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य उत्पाद शुल्कों के समान होते हैं अगर इन्हें भारत में बनाया जाता है। जैसा कि पहले इंगित किया गया है, अनेक मामलों में उत्पाद शुल्क विभिन्न वित्त अधिनियमों के अंतर्गत लगाए जाते हैं, जो कि उन दरों को निर्दिष्ट करता है जिन पर ये शुल्क लगाए जाते हैं। विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट ये दरें 'प्रशुल्क दरों' के रूप में जाने जाते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25क(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार को जनहित में अनुसूची में निर्दिष्ट दरों से निम्न सीमा शुल्क दरें निर्दिष्ट करने हेतु अधिसूचना जारी करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं। अधिसूचनाओं द्वारा निर्दिष्ट इन दरों को 'प्रभावी दर' के रूप में जाना जाता है। सीमा शुल्क के संदर्भ में छोड़ा गया राजस्व अधिसूचना जारी नहीं होने की स्थिति में देय शुल्क तथा संबंधित अधिसूचना के अर्थ में परिभाषित वास्तविक रूप से भुगतान किए गए शुल्क के बीच का अंतर होता है।

परित्यक्त राजस्व = मूल्य x (शुल्क की टैरिफ दर - प्रभावी शुल्क दर)

अतः, टैरिफ दर के प्रभावी दर के समान होने की स्थिति में परित्यक्त शुल्क शून्य होता है।

वर्ष 2005-06 के लिए विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के जारी होने के कारण परित्यक्त राजस्व का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आई.सी.ई.एस.) में दर्ज प्रविष्टियों के बिल से सृजित आंकड़े पर आधारित है। तथापि, ईडीआई आंकड़े पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि कुछ पत्तन ईडीआई के बाहर आते हैं। इसके अतिरिक्त, ईडीआई आंकड़ों में निर्यातानुमुखी इकाइयों (ईओयू) द्वारा किए जाने वाले आयातों, भाण्डागार प्रविष्टि बिलों तथा ईडीआई स्थलों पर दर्ज किए जाने वाले मैन्युअल प्रविष्टि बिलों से संबंधित बिलों का अभिग्रहण नहीं हुआ है।

परित्यक्त राजस्व में बुनियादी सीमा शुल्क, सीवी शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जारी छूट अधिसूचनाओं, जो कि सीवी शुल्क लगाए जाने के लिए संगत हैं, से प्राप्त होने वाले छूट शामिल हैं।

वर्ष 2005-06 के लिए, ईडीआई डाटा द्वारा अभिगृहीत सकल सीमा शुल्क राजस्व 48756 करोड़ रुपए है, जबकि वास्तविक सकल राजस्व संग्रहण 66537 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, वर्ष 2005-06 के लिए ईडीआई डाटा वास्तविक प्रतिवेदित राजस्व संग्रहण के लगभग 73% का प्रतिनिधित्व करता है। अतः परित्यक्त राजस्व के अनुमान काफी वृहत् प्रतिमान पर आधारित हैं।

वर्ष 2005-06 के लिए अनुमानित परित्यक्त राजस्व की गणना के लिए यथा-अपेक्षित उपयुक्त समायोजन के साथ ईडीआई डाटा को विस्तृत किया गया है। यह देखा गया है कि खाद्य तेल तथा पेट्रोलियम अपरिष्कृत तथा कुछ अन्य उत्पादों के लिए ईडीआई डाटा कवरेज विशेष रूप से निम्न है। पेट्रोलियम तथा खाद्य तेलों से प्राप्त वास्तविक राजस्व संबंधी आंकड़ों का संग्रह पृथक् रूप से किया गया था। जब इन दो वस्तुओं से प्राप्त वास्तविक राजस्व को ईडीआई डाटा में जोड़ा जाता है, तो वास्तविक कवरेज बढ़कर 60982 करोड़ रुपए अथवा कुल राजस्व का 92% हो गया। इसमें वास्तविक राजस्व से लगभग 8% की कमी अभी भी रह जाती है। किसी अन्य डाटा के अभाव में यह माना गया है कि शेष राजस्व देने वाले आयातित वस्तुओं का संघटन अपरिवर्तनीय रहा तथा यह ईडीआई डाटा के अनुरूप था। डाटा आधार में उपयुक्त वृद्धि के पश्चात सभी छूट अधिसूचना से 2005-06 में परित्यक्त शुल्क का अनुमान 1,27,730 करोड़ रुपए लगाया गया है।

वर्ष 2006-07 के लिए अप्रैल-सितंबर, 2006 की अवधि हेतु राजस्व आंकड़ों के लिए इसी प्रक्रिया को अपनाया गया है और 2006-07 के लिए अनुमानित राजस्व आंकड़ों की गणना के लिए इस वर्ष आंकड़ों का विस्तार किया गया है। यह राशि 1,23,682 करोड़ रुपए है।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रत्येक अध्याय के लिए परित्यक्त राजस्व आंकड़ा सारणी 7 में प्रस्तुत किया गया है:

सारणी 7 : सीमाशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख कर व्यय के अनुमान

(करोड़ रुपए)

अध्याय	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	2005-06 (अनन्तिम)	2006-07 (अनुमानित)
1	जीवित पशु	1	1
2	मांस एवं खाद्य मांस	0	0
3	मछली तथा क्रस्टेशियन, अन्य जलचर अकशेरुकी	9	3
4	डेरी उत्पाद	5	16
5	पशु मूल के अन्य उत्पाद	8	16
6	जीवित वृक्ष तथा अन्य पौधे	2	3
7	खाद्य वसब्जियां, कतिपय कंद तथा ट्यूबर्स	882	1437
8	खाद्य फल तथा गिरीदार फल	1132	1169
9	काफी, चाय, मेट तथा मसाले	295	308
10	खाद्यान्न	3	538
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद	5	11
12	तिलहन, अनाज, बीज, फल	51	65

(करोड़ रुपए)

अध्याय	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	2005-06 (अनन्तिम)	2006-07 (अनुमानित)
13	लाख, गोंद तथा राल	75	101
14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री	0	0
15	पशु अथवा वनस्पति वसा	4750	3747
16	मांस अथवा मछली से निर्मित उत्पाद	1	0
17	चीनी	1105	33
18	कोको	14	13
19	अनाज से निर्मित उत्पाद	45	50
20	वनस्पति से निर्मित उत्पाद	24	11
21	विविध खाद्य उत्पाद	87	99
22	पेय तथा स्पिरिट	213	152
23	खाद्य उद्योग के अवशिष्ट तथा कूड़ा	0	78
24	तम्बाकू	2	3
25	नमक, गंधक तथा शिला	135	215
26	अयस्क	566	1810
27	खनिज ईंधन तथा खनिज तेल	28773	22615
28	अकार्बनिक रसायन	1692	2145
29	कार्बनिक रसायन	4713	5231
30	औषध उत्पाद	1180	1025
31	उर्वरक	2030	2855
32	चमड़ा तथा रंगाई अर्क, रंजक	220	270
33	आवश्यक तेल	97	114
34	साबुन तथा धुलाई सामग्री	69	81
35	एलबुमिनोडल पदार्थ	49	53
36	विस्फोटक सामग्री, माचिस	6	14
37	फोटोग्राफी सामग्री	124	95
38	विविध रसायन उत्पाद	723	1070
39	प्लास्टिक	1396	1718
40	रबड़	418	549
41	खाल और त्वचा तथा चमड़ा	195	263

(करोड़ रुपए)

अध्याय	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	2005-06 (अनन्तिम)	2006-07 (अनुमानित)
42	चमड़े का सामान	14	20
43	समूर	5	13
44	लकड़ी	605	823
45	कार्क	0	1
46	घास फूस की वस्तुएं	0	0
47	काष्ठ की लुगदी	243	274
48	कागज	713	978
49	मुद्रित पुस्तकें, अखबार	388	380
50	रेशम	294	273
51	ऊन	837	303
52	सूत	2891	2987
53	अन्य वनस्पति रेशे	84	44
54	मानव निर्मित फिलामेंट	3345	2648
55	मानव निर्मित स्टेपल रेशा	718	371
56	वेडिंग एवं बुनाई रहित	67	42
57	गलीचे	24	21
58	विशेष बुनी फेब्रिक्स	5288	2553
59	परत चढ़े हुए टेक्सटाइल फेब्रिक्स	467	295
60	बुने हुए फेब्रिक्स	188	153
61	बुने हुए तैयार पहनावे	12	8
62	वूवन पहनावे	51	23
63	मेड अप्स	65	46
64	जूते	63	113
65	शिर के उपसाधन	1	1
66	छाते	11	6
67	पंख/कृत्रिम पुष्प	1	1
68	पत्थर, प्लास्टर की वस्तुएं	44	63
69	सिरेमिक के उत्पाद	144	164
70	शीशा और शीशे की वस्तुएं	167	172

(करोड़ रुपए)

अध्याय	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	2005-06 (अनन्तिम)	2006-07 (अनुमानित)
71	कीमती रत्न, आभूषण	16934	22168
72	लोहा तथा इस्पात	6306	7034
73	लोहे और इस्पात की वस्तुएं	1024	2072
74	तांबा और उसकी वस्तुएं	419	525
75	निकल और उसकी वस्तुएं	210	311
76	अल्युमिनियम और उसकी वस्तुएं	685	967
78	सीसा और उसकी वस्तुएं	156	147
79	जस्ता और उसकी वस्तुएं	281	607
80	टिन और उसकी वस्तुएं	27	40
81	अन्य आधारी वस्तुएं	98	96
82	औजार और उपसाधन	247	219
83	आधारी धातुओं की प्रकीर्ण वस्तुएं	73	81
84	मशीनें	10733	13683
85	विद्युत मशीनरी	16773	7968
86	रेलवे अथवा ट्रामवेज लोकोमोटिव रेलिंग स्टॉक आदि	182	84
87	मोटर वाहन	1229	1590
88	वायुयान	244	600
89	जहाज, नाव और तैरने वाले ढांचे	634	554
90	आप्टिकल/फोटोग्राफिक औजार	2438	2507
91	घड़ी और हाथ घड़ी	14	10
92	संगीत वाद्य	7	1
93	हथियार एवं आयुध	280	222
94	फर्नीचर आदि	95	176
95	खिलौने एवं खेल वस्तुएं	81	90
96	विविध निर्मित वस्तुएं	133	167
97	कलाकृतियां, प्राचीन वस्तुएं	1	7
98	परियोजना आयात, साज सामान	601	1003
	जोड़	127730	123682

परित्यक्त राजस्व के उपर्युक्त आंकड़ों में निर्यात-संबद्ध निविष्टि कर शामिल हैं। विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों का ब्यौरा नीचे अलग से दिया गया है। नीचे **सारणी 8** में अधिकतर मदों को प्रोत्साहन स्कीमों में नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे मोटे तौर पर निविष्टि कर क्रेडिट प्रतिबिंबित करती हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यातकों को एक समान अवसर देने के लिए अनुमति दी जाती है। इस अर्थ में, सीमा शुल्कों से परित्यक्त राजस्व को विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए परित्यक्त राजस्व की सीमा तक नीचे लाया जाना चाहिए।

सारणी 8: निर्यात संवर्धन रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2005-06 (अनन्तिम)	2006-07 (अनुमानित)
1.	अग्रिम लाईसेंस	13261	17610
2.	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी	10277	13651
3.	ईपीसीजी	5332	8648
4.	डीईपीबी स्कीम	5650	4873
5.	एसईजेड	1070	2146
6.	डीएफआरसी	815	824
7.	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम	-	530
8.	डीएफसीईसी स्कीम	585	1266
9.	टारगेट प्लस स्कीम	500	3120
10.	विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना	60	800
11.	सर्व्ड फ्राम इंडिया स्कीम	40	300
जोड़		37590	53768

उपर्युक्त में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2) के अंतर्गत जारी छूट अधिसूचनाओं के कारण परित्यक्त राजस्व शामिल नहीं है।

निष्कर्ष

सारणी 9 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के परित्यक्त राजस्व के आंकड़े प्रदर्शित करती है।

सारणी 9: वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 में परित्यक्त राजस्व

(करोड़ रुपए)

	2005-06 में परित्यक्त राजस्व (अनन्तिम)	2005-06 में सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व	2006-07 में परित्यक्त राजस्व (अनुमानित)	2006-07 में सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व
कार्पोरेट आयकर	34618	9.45	50075	10.70
व्यक्तिगत आयकर	13550	3.70	15512	3.32
सहकारी क्षेत्र से संबंधित	1632	0.45	शून्य	
उत्पाद शुल्क	66760	18.23	99690	21.31
सीमाशुल्क	127730	34.87	123682	26.44
जोड़	244290	66.70	288959	61.76
निर्यात क्रेडिट से संबद्ध घटाकर	37590	10.26	53768	11.49
कुल जोड़	206700	56.43	235191	50.27

- टिप्पणियां: (1) सकल कर संग्रहण का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा संग्रहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का योग।
(2) सकल कर संग्रहण के 2005-06 के आंकड़े वास्तविक हैं जबकि 2006-07 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

निष्कर्ष के रूप में इस वर्ष विवरण में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के विवरण में दर्शाए आंकड़ों से अधिक व्यापक और यथार्थवादी हैं। ज्योंही और सूचना उपलब्ध होंगी परित्यक्त राजस्व के अनुमान भी सुधरेंगे। यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि समग्र राजस्व संग्रहण की दृष्टि से परित्यक्त राजस्व अधिक बना रहा है। जहां यह 2004-05 में सकल कर राजस्व का 52.03 प्रतिशत था, वहीं 2005-06 में बढ़कर 56.43 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2006-07 में इसके घटकर 50.27 प्रतिशत होने का अनुमान है।
